प्रेषक

जिलाधिकारी(नोडल अधिकारी)
जनपद हाथरस

सेवामें

कार्यालयध्यक्ष (नियुक्ति अधिकारी)
सरकारी/अर्ध्दसरकारी/स्थानीय निकाय
जनपद हाथरस

पत्रांक सेवायोजन पोर्टल/रिक्ति/2015/ दिनांक –07–2015

विषय–सेवायोजन कार्यालय रिक्तियो का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम–1959 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बनध में

महोदय

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश संख्याः संख्याः19/2015/689/छत्तीस–5–2015–वेवपोर्टल–2014 श्रम–अनुभाग–5 दिंनांक 07–07–2015 (**सलग्नक ,क,**) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त **सरकारी/अर्ध्द सरकारी/स्थानीय निकाय इत्यादि अधिष्ठानो** में नियमित एवं संविदा पर होने वाली रिक्तियो को केन्द्रीयकृत रूप से सेवायोजन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा भर्तियों/रिक्तियो से सम्बन्धित सूचना समयबध्द रूप से प्रविष्टि करने का दायित्व उक्त सम्बन्धित विभाग के प्रमुख का होगा।

2–सेवायोजन कार्यालय रिक्तियो का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम–1959 की **धारा–4** में यह प्राविधानित है कि प्रत्येक सरकारी/अर्ध्द सरकारी/स्थानीय निकाय इत्यादि अधिष्ठानो में होने वाली समस्त रिकित्यो को सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करना अनिवार्य है। एव अधिनियम–की **धारा–5** के अर्न्तगत नियोजको को अपने संस्थान में होने वाली रिक्तियो की सूचना निर्धारित प्रारूप पर सेवायोजन कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है । ऐसा न करने पर उक्त अधिनियम में दण्ड भी प्राविधानित है (**सलग्नक–शासन/निदेशालय का पत्र –क , ख**)

सज्ञान में आया है कि इस अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन न होने के कारण सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियो की सूचना उपलब्ध नही हो पारही है तथा रिक्तियो की सूचना को सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड कराने का प्रभावी अनुश्रवण नही हो पारहा है ।

उपर्युक्त स्थिति में जनपद के समस्त सरकारी/अर्ध्द सरकारी/स्थानीय निकाय संस्थाओ के नियोजको को निम्नलिखित से अवगत कराते हुए निर्देशित किया जाता है किः–

1–जिन विभागो की वेवसाइट बनी है वही होने वाली **रिक्तियो/भर्तियो** से संबधी सूचनाओं को वेवसाइट टू वेवसाइट आथन्टिकेशन (वेवसर्विस) के माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर प्रविष्ट कराया जायेगा ।

2–विभाग की वेवसाइट न होने की स्थिति में अथवा मण्डल,जिला,तहसील,विकास खण्ड स्तरों के नियुक्ति कार्यालयो के पास अपनी विभागीय वेवसाइट पर सूचनायें प्रविष्ट करने हेतु यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी शीघ्र से शीघ्र इसकी व्यवस्था करायेगे परन्तु व्यवस्था न होने तक विभाग में होने वाली रिक्तियो की संलग्न निर्धारित प्रारूप एवं विस्तृत विवरण की पी0डी0एफ0 एवं प्रकाशित भर्ती विज्ञापन स्कैन्ड प्रति की साफ्ट कापी के साथ प्रकाशन की दिनाक को जनपद के सेवायोजन कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्राप्त करायेगे। सम्बन्धित सेवायोजन अधिकारियों द्वारा इन सूचनाओ को पोर्टल के प्रयोग हेतु आवटित अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से अविलम्व सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्टि कर दिया जायेगा ।

भवदीय

24/7/15

(शमीम अहमद खान)
आई0ए0एस0
नोडल अधिकारी/जिलाधिकारी
हाथरस